

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~चिरवली~~
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान..... ~~कोयल~~

--:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~कोयल~~ व भू.अ.नि. ~~वाव~~ की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सखीसिंह~~ की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~शान्तापुर~~ तहसील ~~चिरवली~~ जिला ~~सिंघवल~~ की जमाबन्दी सम्वत् ~~2075-2078~~ में खाता संख्या ~~186~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	शान्तापुर हरद कोयल	186	शान्तापुर वनमाल	हाकली चाली कमाल

~~उपखण्ड अधिकारी~~
~~पीठासीन अधिकारी~~
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ~~चिरवली~~

क्रमांक :- 302-304

दिनांक :- 17-11-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, ~~चिरवली~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~हाकली चाली कमाल~~ को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

~~उपखण्ड अधिकारी~~
~~पीठासीन अधिकारी~~
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ~~चिरवली~~